परिशिष्ठ-1

[20/2/2026] 2

प्रश्न सं. [क्र. 1095]

कार्यालय मुख्य अभियंता

रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना बरगी हिल्स जबलपुर

ई-मेलः-cerablsp@yahoo.co.in दूरभाषः-0761-2672210

ज्ञाप कमांक 5 /सी-222/ 01 /कार्य-2/2024 जबलपुर दिनांक 22/8/2024

प्रति,

मुख्य अभियंता (मध्य क्षेत्र)
लोक निर्माण विभाग
जबलपुर

विषयः- जिला जबलपुर अंतर्गत बरगी से बरगी नगर के मध्य क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

सदंर्भः- 1. सदस्य(अभि.),न.घा.वि.प्रा.का पत्र कमांक1517/303/सदस्य(अभि.),न.घा.वि.प्रा./2024 भोपाल दिनांक 21.8.2024

2. सदस्य(अभि.),न.घा.वि.प्रा.भोपाल का पत्र कमांक1221/सदस्य(अभि.),रा.अ.बा.लो.सा.परि./2023/ दिनांक 15.4.2013

3. सदस्य(अभि.),न.घा.वि.प्रा.भोपाल का पत्र कमांक1242/सदस्य(अभि.),न.घा.वि.प्रा./रा.अ.बा.लो.सा.परि./2013/ दिनांक 17.4.2013

4. कार्यपालन यंत्री. रा.अ.बा.लो. सा.बांया मेसनरी बांध संभाग बरगी नगर का पृ0 कं0892/ए/ कार्य/2013 दिनांक 25/6/2013

5. मुख्य अभियंता (मध्य क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग जबलपुर का पृ. कं. 4397/सी 145/जबलपुर /2013 दिनांक 3/7/2013

6. अधीक्षण यंत्री,रा.अ.बा.लो.सा.नहर प्रकोष्ठ बरगी हिल्स जबलपुर का पत्र कं01226/कार्य/बी.15/ 2015 दिनांक 5/7/2013

--00--

विषयांतर्गत सदंर्भित पत्र कमांक-1के परिपालन में संलग्न [illegible] कमांक 2 से 6 तक का अवलोकन करने का अनुरोध है। (1) बरगी से बरगी नगर (बांध स्थल) तक 10.65 कि.मी. (2) बरगी बायपास सड़क 1.10 कि.मी. (3) बरगी नगर से घंसौर मडंला मार्ग की लिंक रोड 1.20 कि.मी.को लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने के निर्देश वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त है। सदंर्भित पत्र कं0 1 के साथ संलग्न माननीय विधायक महोदय के पत्र का अवलोकन करें जिसमे क्षतिग्रस्त मार्ग का [illegible] सुधार कार्य चाहा गया है। सडक मार्ग की विशेषज्ञता होने के कारण सडक मार्ग का समुचित सुधार कार्य एवं संधारण हो सके, उक्त अनुकम में एव प्रकरण व्ही.आई.पी. से संबंधित होने के कारण उक्त सडक मार्ग आपके अधिपत्य में लेने हेतु आवश्यक आदेश कार्यवाही किये जाने का अनुरोध है।

सहपत्रः- सदंर्भ पत्र कं01से06

(डी.एल.वर्मा)
मुख्य अभियंता

पृ कमांक 5 /सी-222/ /कार्य-2/2024 जबलपुर दिनांक /8/2024

प्रतिलिपिः

1. सदस्य (अभि.) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. माननीय विधायक श्री नीरज सिंह ठाकुर,विधान सभा क्षेत्र बरगी,निवास मकान नं.144(2337) राइट टाउन जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

3. कार्यपालन यंत्री. रा.अ.बा.लो. सा.बांया मेसनरी बांध संभाग बरगी नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहपत्रः- शून्य,

(डी.एल.वर्मा)
मुख्य अभियंता

कार्य/सामान्य/स्थापना
अ.यं. (प्र.) / मु.अ.
दिनाँक 30/8/24

कार्यालय मुख्य अभियंता लो.नि.वि.
क्रमांक 1061
दिनांक 30-8-24

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग

परिशिष्ठ-2

कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED OFFICE

इंदिरा गांधी मार्ग, साउथ सिविल
लाईन, जबलपुर, (म.प्र.) पिन-482001

Phone No. 0761-2621541
E-mail:- cepwdcentral@mp.nic.in

क्रमांक- 3442/कार्य/जबलपुर/एम.डी.आर./2023, जबलपुर, दि.- 04/6/25

प्रति,

मुख्य अभियंता
रा.अ.बा.लो.सा.परियोजना
बरगी नगर जबलपुर

विषय :- जिला जबलपुर अंतर्गत बरगी से बरगी नगर के मध्य क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण की स्वीकृति प्रदाय करने बावत्।

संदर्भ :- (1) आपका पत्र क्रमांक-05/सी 222/01/कार्य-2/2024 जबलपुर दि.22.08.2024.
(2) इस कार्यालय का पत्र कं.-5081/कार्य/जबलपुर/एम.डी.आर./2023 जबलपुर दिनांक 20.09.2024.

-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के संबंध में मार्गो का तथ्यात्मक विवरण जैसे लंबाई, चौड़ाई, क्षतिग्रस्त मार्गो के सुधार एवं आवश्यक संधारण हेतु वित्तीय सहमति, पूर्व निर्मित मार्ग के तकनीकी विवरण आदि प्रेषित करे, जिससे कि विधिवत प्रस्ताव विवरण सहित विभाग को हस्तांतरित करने की कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सकें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार

(इंजी.आर.एल.वर्मा)
मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग
जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर

पृ. क्रमांक-3443/कार्य/जबलपुर/एम.डी.आर./2023, जबलपुर, दि.- 04/6/25

प्रतिलिपि :-

1- प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण भवन प्लाट नं. 27, 28 अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।

2- अधीक्षण यंत्री यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) जबलपुर मण्डल की ओर सूचनार्थ।

3- कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग कं.-2 जबलपुर की ओर सूचनार्थ।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार
स.कं.1 के लिये

मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग
जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग